न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 19/2023 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 निवासी—राजबिहार कॉलोनी, कन्या महाविद्यालय के पास सवाईमाधोपुर

GCMS No-2023/39

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.4.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.2.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:— 1. यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर कार्यालय के अधीन ख0न0 577 व 254/3116 का 0.02 है0 गै0मु0 नाला ग्राम आलनपुर तहसील सवाईमाधोपुर में अनुराग रिसोर्ट प्रा.लि.रण.रोड के समीप किसी व्यक्ति या संस्था को गै.मु. नाला की भूमि रेगुलाईज या आवंटित की गयी है तो किसको और कब से की गयी है। पूर्ण पते सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 2. यह है कि गै0मु0 नाला ख0न0 577 व 578/1828 ग्राम आलनपुर स0मा0 में नगर पालिका गठन के समय किसको कितनी भूमि किस प्रकार किस आदेश के तहत भूमि आवंटन/नियमन किया गया है की गयी भूमि को निरस्त करने के बारे में श्रीमान द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 3. यह है कि होटल अनुराग रिसोर्ट प्रा.लि.रण.रोड पर कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है श्रीमान द्वारा कौन कौन से खसरों में से कितनी भूमि इस क्षेत्रफल में शामिल है। इस होटल में सरकार कितनी अतिरिक्त भूमि उपयोग मे ली जा रही हैं। इस पर श्रीमान द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 4. यह है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक/एफ/3/(2)12(55)होटल/राजस्व/91/4370 दिनांक 11.7.2011 की प्रमाणित प्रति में ख.न. 254/3116 रकबा 0.95 है0 किस्म पूर्व में गै0मु0नाला दर्ज रिकार्ड थी जिसका पटटा विलेख दिनांक 10.9.1993 को निष्पादित हुआ है दर्शाया गया है। पटटा विलेख की छायाप्रति भी पत्र मे संलग्न दर्शायी गयी है। इस विक्रय विलेख संख्या 1031 दिनांक [illegible] विलेख की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में [illegible] लोक सूचना अधिका[illegible] अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा [illegible] मियाद उपलब्ध [illegible] कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:31 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक एफ.13(1)(22)सूकाअ/2023/1999 दिनांक 29.3.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्ट जरिये पत्रांक 1823 दिनांक 30.2.2023 के द्वारा सूचित किया जा चुका है कि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के तहत देय नही है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना पंजीयन अभिलेख से संबंधित है इसलिए प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र कमांक प.20(84)प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट/ दिनांक 12.10.2018 के अनुसार उक्त सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नही है। उक्त सूचना पंजीयन अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर ही प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.2.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना से संबंधित रिकार्ड पंजीयन का है। अतः प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र कमांक प.20(84)प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट/दिनांक 12.10.2018 के अनुसार उक्त बिन्दु संख्या 4 की सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिए अपीलान्ट उक्त सूचना पंजीयन अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है।

उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:36:31 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर